न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 66/2017

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 गूगनराम पुत्र जोराराम।
2 होशियार सिंह पुत्र जोराराम।
3 राजपाल पुत्र गोपीचन्द।
4 बोगली स्त्री झंडुराम।
5 ईश्वर पुत्र झण्डुराम।
6 मनीराम पुत्र झण्डुराम।
7 जयपाल पुत्र झण्डुराम समस्त जाति जाट निवासीगण गिडानियां तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 उमराव पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी हनुमानाराम की ढ़ाणी तन गिडानियां तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2 लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

Lamo

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (केम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 07.06.2017
बमुकदमा उनवानी उमराव बनाम गुगनराम
प्रार्थना पत्र अं.धारा 251ए राजस्थान टीनेन्सी
एक्ट मु.नं. 14/13 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी चिड़ावा

उपस्थित

1. श्री शिवनारायण सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राकेश बागोड़िया अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–06.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 14/2013 में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 436 व 437 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रास्ते की मांग की। अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत कर आवेदन खारिज करने का निवेदन किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। निर्णय राजस्व कैम्प में किया गया जिसका अपीलांट को नोटिस नही दिया गया, रेस्पोडेंट का आवेदन विधि अनुसार पोषणीय ही नही था अप्रार्थी संख्या 4 की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये बिना पारित निर्णय नलिटी है। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 40, आर.आर.डी. 2016 पेज 458, आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1440, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 755, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 423, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 649 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट ने विधि अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया अप्रार्थीगण ने जवाब दिया विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट प्राप्त की। जिस पर अपीलांट ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में सुनवाई का प्राप्त अवसर दिया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिससे अप्रार्थी संख्या 4 पतासी पत्नी गोपीचन्द की मृत्यु विचारण न्यायालय के द्वारा पारित विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय से पूर्व होना साबित होता हो। विचारण न्यायालय में अपीलांट्स की और से दिनांक 27.02.2015 को जवाब प्रस्तुत किया गया है इसके उपरान्त अपीलांट को 27 अवसर दिये गये है इसकी पुष्टि विचारण न्यायालय की आदेशिका से होती है विचारण न्यायालय द्वारा 26.05.2017 को 27 अवसर देने के उपरान्त अपीलांट द्वारा बहस हेतु पुन अवसर चाहने पर अपीलांट की बहस बंद की गई हैं एवं प्रार्थी रेस्पोडेंट की बहस सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन, मौका रिपोर्ट के अवलोकन के उपरान्त हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही पाते है फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

6/XI/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर